Regarding need to fill up vacancies reserved for SCs, STs and OBCs in UPSC and other examinations

श्री रमाशंकर राजभर **(सलेमपुर) :** माननीय सभापति जी, देश में एससी, एसटी और ओबीसी को क्रमश: 21 और 27 परसेंट आरक्षण प्राप्त है । तंत्रों ने इन वर्गों के अभ्यर्थियों को इस कद्र मक्कड़जाल में फंसा दिया है कि वर्ष 2014 से यूपीएसई परीक्षा पास आईएएस और आईपीसी के 150 बच्चे, जिनका चयन क्रीमी लेयर जाति आधारित आरक्षण के नाते हुआ था, डीओपीटी ने इनकम आधारित आरक्षण के कारण नौकरी से वंचित कर दिया ।

उत्तर प्रदेश में 69,000 एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों में से 19,000 शिक्षक चयनित हुए लेकिन अब ये मारे-मारे फिर रहे हैं । तंत्रों ने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाल दिया है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे देखे और संवैधानिक हक दिलाते हुए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को पूरा करे ।

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्यगण, सूची के सभी सदस्य बोल चुके हैं । पिछली बार भी शून्य काल नहीं हो पाया था । अब मैं जीरो आवर में चर्चा कराना चाहता हूं । मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना चाहता हूं इसलिए आप सबसे आग्रह है कि केवल एक मिनट में अपनी बात कहें और डिमांड बता दें ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** श्रीमती हेमा मालिनी ।

? (व्यवधान)